

मार्च 2021

भारत में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम पर केन्द्रित सांख्यिकीय डेटाबेस की तैयारी: अन्वेषणात्मक अध्ययन

‘कासी’ प्रकाशन-पूर्व शोध पत्र

सविता शंकर

लेक्चरर, स्कूल ऑफ सोशल पॉलिसी ऐंड प्रैक्टिस
यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वैनिया

‘कासी’ 2019-21 अनिवासी भ्रमणशील शोधार्थी
सेन्टर फॉर एडवांस्ट स्टडी ऑफ इंडिया- ‘कासी’

भारत में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उदयम पर केन्द्रित साख जोखिम डेटाबेस की तैयारी: अन्वेषणात्मक अध्ययन

‘कासी’ प्रकाशन-पूर्व शोध पत्र

सविता शंकर

लेक्चरर, स्कूल ऑफ सोशल पॉलिसी ऐंड प्रैक्टिस

यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वैनिया

‘कासी’ 2019-21 अनिवासी भ्रमणशील शोधार्थी

सेन्टर फॉर एडवांस्ट स्टडी ऑफ इंडिया- ‘कासी’

‘कासी’ प्रकाशन-पूर्व शोध पत्र

मार्च 2021

© कॉपीराइट 2021 सविता शंकर एवं सेंटर फॉर एडवांस्ट स्टडी ऑफ इंडिया

रचनाकार के बारे में

सविता शंकर पेनसिल्वैनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में 'कासी' 2019-21 अनिवासी भ्रमणशील शोधार्थी और लेक्चरर हैं। उन्होंने अपनी पीएच.डी. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के ली क्वान यूव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से की है। उन्होंने कीयो बिजनेस स्कूल, जापान; एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिलिपींस; और इंस्टीट्यूट फॉर फाइनांशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, चेन्नई में पढ़ाया है। अध्यापन कार्य से पहले उन्होंने दस साल तक भारत में वित्तीय संस्थानों में काम किया (एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआई बैंक) जहां उनकी जिम्मेदारी परियोजना मूल्यांकन और दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन थी। उन्हें जिन विषयों पर शोध में रुचि है उनमें सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम, वित्तीय समावेश, और सामाजिक उद्यमशीलता शामिल हैं। वे एशियन डेवलपमेंट बैंक और हैबिटाट फॉर ह्यूमनिटी (कम्बोडिया और फिलिपींस) के लिए परामर्शी भी रही हैं। उनके अभी जारी शोध में भारत के सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यमों के लिए एक साख जोखिम डेटाबेस बनाने की संभावना पर एक सहयोगी परियोजना शामिल है।

सार

अनेक नीतिगत पहलों के केन्द्र में रहते हुए भी भारत में एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज) सेक्टर में साख अंतर बना रहता है। उन आंकड़ों के इस्तेमाल के लिए निवेश कर कर्ज देने के निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार लाया सकता है जो ऋणदाता भविष्य में कर्ज देने के लिए डेटाबेस बनाने के लिए जमा कर रहे हैं। ऐसा होने से एमएसएमई कर्ज प्राप्ति का दायरा बढ़ने और इस कर्ज को लेने में खर्च के घटने की उम्मीद है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जापान में बंधक (कोलैटरल-समपार्श्विक) और जमानत मुक्त कर्ज को गति देने में साख जोखिम डेटाबेस (क्रेडिट रिस्क डेटाबेस- सीआरडी) को उपयोगी भूमिका निभाते देखा गया है। ओसीएन नेटवर्क की उपलब्धता और खाता एकीकरण (एग्रीग्रेटर) फ्रेमवर्क में बैंकों और एनबीएफसी (ननबैंकिंग फाइनांस कंपनी) को शामिल कर अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त खर्च से सीआरडी बनाया जा सकता है। सीआरडी की भूमिका साख ब्यूरो और रेटिंग एजेंसियों से अलग होगी क्योंकि यह इस सेक्टर के लिए समग्र रूप से वित्तीय और डिफॉल्ट डेटा पर आधारित होता है, न कि स्वतंत्र इकाइयों के लिए। राष्ट्रव्यापी आंकड़े पर आधारित क्रेडिट (साख) स्कोरिंग मॉडल्स और एमएसएमई सेक्टर के विभिन्न भागों के लिए मानकों की उपलब्धता सीआरडी के मुख्य लाभ हैं। इसके अलावा होने वाले लाभ ये हैं कि मॉडल्स से मिलने वाले क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल जमानतों (गारंटीज) के लिए अधिक परिष्कृत मूल्य प्रणाली (ब्याज दर) विकसित करने में और एमएसएमई कर्ज के प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) के लिए संभावित सहायता में किया जा सकता है।¹

¹ रचनाकार मेगुमी सागरा, निदेशक, समुद्रपार प्रभाग, क्रेडिट रिस्क डेटाबेस एसोसिएशन, जापान का उनके मूल्यवान तथ्य-सहयोग के लिए आभारी है।

परिचय

सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है जो मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 29 प्रतिशत है और इसमें लगभग 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं (एमएसएमई मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20)। चूंकि एमएसएमई में निवेश की सीमा जून 2020 में बढ़ायी गयी है, इसलिए इससे भी अधिक संख्या में फर्मों को इस सेक्टर में शामिल किया जा सकता है। इस सेक्टर में कुछ हास भी हो सकता है क्योंकि ऐसी जायज चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ एमएसएमई कोविड-19 के संकट से शायद उबर नहीं पाएं। फिर भी, इस अर्थव्यवस्था और बड़ी संख्या में आजीविका के लिए इस सेक्टर का महत्व निर्विवाद है। व्यापक रूप से स्वीकृत इस तथ्य ने एमएसएमई को वर्षों से सरकारी योजनाओं के केन्द्र में रखा है। इसके बावजूद इस सेक्टर की राह में कई रोड़े हैं, जिसमें अपर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रमुख है। हालांकि भारत में एमएसएमई 'प्राथमिकता क्षेत्र' के भाग हैं जिनके लिए बैंकों को निर्देश है कि वे अपने लगाने वाले कर्जों का एक खास हिस्सा उन्हें दें, लेकिन अधिकतर फर्मों के लिए वित्त प्रबंध चुनौती बनी हुई है।

एमएसएमई के लिए कई कारक वित्तीय चुनौतियां पैदा करते हैं। अनेक एमएसएमई के पास आर्थिक रेकॉर्ड्स, कर्ज के हिसाब, और रखने के लिए बंधक नहीं होता; ये वो आधार हैं जिनपर ऋणदाता साख-आकलन करते हैं।²

इनके बिना ऋणदाता साख-मूल्यांकन को आगे बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। इस समस्या को 'सूचना असमिति' कहा जाता है और इस सेक्टर से कारोबार करने वाले ऋणदाताओं के लिए यह लेनदेन-व्यय अधिक होने का कारण बनता है। लेनदेन-व्यय अधिक होने का कारण यह है कि कर्जदारों की जांच-पड़ताल की लागत बड़े कर्जदारों की तुलना में अधिक है, खासकर कर्ज की राशि के प्रतिशत के रूप में इसे बताया जाए जो आम तौर पर संख्या में अपेक्षतया कम होते हैं। इस मूल मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कुछ देशों ने लघु और मध्यम उद्यमों पर केन्द्रित साख जोखिम डेटाबेस बनाने में निवेश किया है। इस डेटाबेस का उद्देश्य इस सेक्टर को कर्ज देने के लिए बेहतर निर्णय लेने में ऋणदाताओं की सहायता करना है। इस शोधपत्र में भारत में साख जोखिम डेटाबेस की स्थापना के विचार की पड़ताल की गयी है जिसमें

इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इसकी भूमिका अन्य अर्थ-तंत्र इकाइयों से कैसे विशिष्ट होगी, इसकी जरूरत के कारण क्या हैं, संचालन का मॉडल जो काम आ सके, इसकी स्थापना में आने वाली संभावित चुनौतियां और यह क्या योगदान कर सकता है।

अगले भाग में एमएसएमई सेक्टर का विस्तार से परिचय है और इसमें इस बात की भी चर्चा है कि इस सेक्टर पर कोविड-19 संकट का क्या प्रभाव पड़ा है। तीसरे भाग में एमएसएमई के वित्त-प्रबंध अंतर और इसके कारणों की व्याख्या है। चौथा भाग भारत में वर्तमान एमएसएमई ऋण वितरण व्यवस्था पर है। पांचवां भाग साख जोखिम डेटाबेस की परिकल्पना से परिचय कराता है और यह बताता है कि भारतीय संदर्भ में संचालित दूसरी पहलों से यह पहल अलग है। छठे भाग में जापान के अनुभव से मिली सीखें हैं जहां ऐसा डेटाबेस 2001 में स्थापित किया गया है। सातवें भाग में फिलिपींस में एमएसएमई साख जोखिम डेटाबेस की स्थापना के अनुभव को साझा किया गया है। अंतिम पूर्व भाग में भारत में साख जोखिम डेटाबेस को संचालित करने के लिए एक मॉडल का प्रस्ताव है और इससे मिलने वाले स्पष्ट लाभ और इसमें निहित चुनौतियों की चर्चा है। अंतिम भाग में इस पत्र के निष्कर्षों का संक्षेपण है।

भारत में एमएसएमई सेक्टर

क. एमएसएमई की परिभाषा

जून 2020 तक एमएसएमई सेक्टर के उद्यमों का वर्गीकरण अकेले इस बात पर होता था कि कारखाने और कल-पुर्जे (प्लांट और मशीनरी) में उनका निवेश कितना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में एमएसएमई को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम (मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस)। प्रत्येक उद्यम के लिए कारखाना और कल-पुर्जे के लिए निवेश की सीमा टेबल 1 में दिये गये विवरण की तरह थी।

² ऋणदाता ऐसे कर्जदारों को "थिन-फाइल" (पतली फाइल) कर्जदार कहते हैं।

टेबल 1: एमएसएमई की परिभाषा (जून 2020 तक)³

उद्यम का प्रकार	विनिर्माण क्षेत्र कारखाना और कल-पुर्जे में निवेश	सेवा क्षेत्र कारखाना और कल-पुर्जे में निवेश
सूक्ष्म	25 लाख रुपये	10 लाख रुपये
लघु	25 लाख रुपये से पांच करोड़ रुपये तक	10 लाख रुपये से दो करोड़ रुपये तक
मध्यम	पांच करोड़ रुपये से दस करोड़ रुपये तक	दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक

एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए निवेश को मापदंड बनाने का कारण यह था कि उनका आकलन और सत्यापन अपेक्षतया आसान था। इन उद्यमों के पास रेकॉर्ड्स और दस्तावेजों की आमतौर पर कमी इस सेक्टर की परिभाषा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस अधिनियम में संशोधन करने और हर श्रेणी के लिए निवेश सीमा बढ़ाने के लिए 2015 में एक बिल पेश किया गया था ताकि एक दशक बाद इस दौरान हुई मुद्रास्फीति को समायोजित किया जा सके। 2018 में यह बिल वापस ले लिया गया, और एमएसएमई की परिभाषा में ऐसे परिवर्तन के लिए एक दूसरा बिल पेश किया गया ताकि यह निवेश की जगह वार्षिक आमदनी पर आधारित हो। इसके लिए तर्क यह था कि जुलाई 2017 में देश में प्रचलित अनेक अप्रत्यक्ष करों की जगह एकीकृत कर की व्यवस्था की गयी जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का नाम दिया गया। जीएसटी लागू करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत थी जो टैक्स देने वालों के लिए एक इन्टरफेस के तौर पर काम कर सकता हो जिसे केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें साझा कर सकती हों। इस आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के फलस्वरूप सरकार अब पंजीकृत इकाइयों के वार्षिक लेनदेन (टर्नओवर) तय करने में समर्थ हो गयी है, जिससे लेनदेन आधारित परिभाषा संभव हो पायी है। 2019 के आम चुनाव के लिए सोलहवीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका।

एक जून 2020 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन को स्वीकृति दी जिसमें प्रत्येक श्रेणी के उद्यम के लिए निवेश और लेनदेन को मापदंड बनाया गया है। इस संशोधन में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए मापदंड में एकरूपता लायी गयी। नये मापदंडों का सार टेबल 2 में दिया गया है।

टेबल 2: एमएसएमई की संशोधित परिभाषा (1 जुलाई 2020 से प्रभावी)

उद्यम का प्रकार	विनिर्माण और सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म	निवेश: एक करोड़ रुपये तक लेनदेन: पांच करोड़ रुपये तक
लघु	निवेश: एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक लेनदेन: पांच करोड़ रुपये से 50 करोड़ तक
मध्यम	निवेश: 10 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक लेनदेन: 50 से 250 करोड़ रुपये तक

परिभाषा में इस परिवर्तन से उम्मीद है कि एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत फर्मों के समूह में काफी विस्तार होगा क्योंकि इस सेक्टर के लिए निवेश की कुल सीमा 5 के गुणक में बढ़ायी गयी है। यह परिवर्तन उस चिंता को दूर करने के लिए है कि पहले की संकुचित परिभाषा एमएसएमई फर्मों को बढ़ने से इस कारण हतोत्साहित करती थी कि इससे एमएसएमई वर्ग को मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ सकता है (सीतारमण, 2020)। 2018-2019 के आर्थिक सर्वे में "ठिगने" एमएसएमई की समस्या को उजागर किया गया था जो बढ़ते नहीं और इसलिए रोजगार और उत्पादकता में उनका बहुत योगदान नहीं होता (भारत सरकार, 2019)।

एमएसएमई को बढ़ावा देने और इसके विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है और एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने और उन्हें ऊपर उठाने में मदद के लिए किये गये उपायों के जरिए उनके विकास की निगरानी करनी है। यह मंत्रालय 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम लागू होने के बाद बनाया गया था। मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) समेकित सहायता सेवाओं- जैसे विपणन (मार्केटिंग), टेक्नोलॉजी, वित्त-प्रबंध और अन्य सेवाओं से विशेष तौर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सहायता पर ध्यान केन्द्रित करता है।

³ इस पत्र के लिए विनिमय दर एक अमेरिकी डॉलर के बराबर 74 मानी गयी है। जुलाई 2020 और दिसम्बर 2020 के बीच विनिमय दर 74.90 रुपये और 73 रुपये के बीच रही है।

ख. एमएसएमई क्षेत्र की प्रकृति⁴

2015-16 के 73वें राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे पर आधारित 2019-20 की एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में एमएसएमई की संख्या छह करोड़ 33 लाख 80 हजार आंकी गयी थी। इस सर्वे से पता चला कि 99 प्रतिशत एमएसएमई 'सूक्ष्म' श्रेणी के हैं जबकि 0.52 प्रतिशत 'लघु' श्रेणी में थे और बाकी 0.01 प्रतिशत का वर्गीकरण 'मध्यम' श्रेणी में था। सेक्टर के संचालन के लिहाज से 31 प्रतिशत एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र के हैं, 36 प्रतिशत व्यापार और 33 प्रतिशत अन्य सेवाओं के। हर सेक्टर के अन्दर भी संचालन में उल्लेखनीय भिन्नता है। उदाहरण के लिए विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई हस्तशिल्प से लेकर उच्च क्षमता वाली मशीनी उपकरणों के क्षेत्रों में संचालित हैं (आईएफसी 2018)। संचालित होने वाले पांच शीर्ष उद्योग थे— खुदरा, खाद्य एवं पेय पदार्थ, लिबास, गाड़ियों की मरम्मत और देखरेख और वस्त्र (तत्रैव)। सर्वे से पता चला कि एमएसएमई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैले हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में 52 प्रतिशत। लगभग 20 प्रतिशत एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में थीं। अधिकतर एमएसएमई के छोटे आकार को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लगभग 96 प्रतिशत एमएसएमई प्रोपराइटरशिप के तौर पर लगाये गये थे। सिर्फ 15 प्रतिशत एमएसएमई के बारे में अंदाजा है कि वे पंजीकृत उद्यम हैं (आईएफसी 2018)। पंजीकृत उद्यम जिस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में हैं, वहां के जिला उद्योग केन्द्र को व्यापार से सम्बंधित सूचना देते हैं जैसे निवेश, कर्मचारियों की संख्या और संचालन की प्रकृति (एक जुलाई, 2020 से ऑनलाइन एमएसएमई उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया के जरिए बदलाव लाया गया है), जबकि अपंजीकृत उद्यम ऐसा नहीं करते। एमएसएमई के रजिस्टर्ड उद्यम के कम अनुपात से पता चलता है कि देश में अधिकांश एमएसएमई के बारे में बुनियादी जानकारी भी सीमित है। हालांकि एमएसएमई को औपचारिक रूप देने का रुझान है। 2017 में जीएसटी लागू किये जाने के बाद कई लघु उद्यम खुद से जीएसटी का हिस्सा बने, खासकर वे जो बड़े उद्यमों से खरीदारी करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट (कर-समायोजन) का लाभ लेना चाहते हैं (आर्थिक सर्वे 2017-18)। ओमिडयार-बीसीजी के 2018 के अध्ययन में पता चला कि जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड एमएसएमई में पिछली कर-व्यवस्था की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग. एमएसएमई सेक्टर का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सेक्टर ने 2015-16 में देश की जीडीपी में 28.8 प्रतिशत का योगदान किया था (एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2018)। एमएसएमई की हिस्सेदारी 2013-14 से कम हुई है, तब यह 29.94 प्रतिशत थी। जीडीपी में भारतीय एमएसएमई सेक्टर का योगदान एशिया के कई दूसरे देशों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एशिया एसएमई मॉनिटर 2020 में जिन दस एशियाई देशों का अध्ययन किया गया वहां की जीडीपी में एसएमई सेक्टर का योगदान 41 प्रतिशत था। देश के निर्यात में इस सेक्टर का योगदान 45 प्रतिशत आंका गया (एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2018-19)। एमएसएमई मंत्रालय की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई सेक्टर में 11 करोड़ लोग कार्यरत थे, इनमें 18 प्रतिशत महिलाएं थीं। इन आंकड़ों से आबादी के बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करने की इस सेक्टर की क्षमता का संकेत मिलता है। भारत में 2030 तक नौ करोड़ गैर कृषि नौकरियों (मैककिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, 2020) के सृजन की जरूरत के लिए इस सेक्टर का तेज विकास खास तौर पर जरूरी है। ऊपर वर्णित कारकों के अलावा एमएसएमई का महत्व इसलिए भी है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता है जिससे शहर के लिए व्यापक पलायन की जरूरत कम हो सकती है। अनेक एमएसएमई परंपरागत कौशल और स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल पर खास ध्यान देते हैं। जून 2020 में घोषित एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन से ऊपर उद्धृत सांख्यिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आना तय है। नये तरीके से परिभाषित उद्यमों के समूह की विशेषताओं के आकलन के लिए एक नया सर्वे कराने की जरूरत होगी।

घ. एमएसएमई सेक्टर पर कोविड-19 संकट का प्रभाव

कोविड-19 संकट और इसके बाद लगे लॉकडाउन से एमएसएमई को अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जून 2020 में 'केयर' रेटिंग्स ने 345 एमएसएमई का सर्वे किया जिसमें पता चला कि मांग में कमी, नकदी की कम उपलब्धता, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, मजदूरों की कमी, साजोसामान (लॉजिस्टिक्स) की दिक्कतें और बकाया (रिसीवेबल्स) की मात्रा में वृद्धि मुख्य मुद्दे हैं जिनका उन्हें सामना है ('केयर' रेटिंग्स 2020 ए)। एक तिहाई उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के पहले तीन महीनों में पचास प्रतिशत से अधिक आमदनी का घाटा हुआ। एक और सर्वे में जो अगस्त-सितम्बर 2020 में 621 अलग-अलग आकार फर्मों के साथ किया गया, यह पता चला कि एमएसएमई की अधिकतर इकाइयों की उनके उत्पादन/विक्रय में लॉकडाउन पूर्व की संख्या के मुकाबले में वापसी (रिकवरी) पचास प्रतिशत से कम थी जबकि अधिकतर बड़े उद्यमों ने बताया कि रिकवरी पचास प्रतिशत के स्तर तक हुई ('केयर' रेटिंग्स 2020 बी)। उसी सर्वे में यह पता चला कि लघु, मध्यम या वृहत

⁴ जून 2020 में अंगीकृत एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार, सेक्टर से संबंधित सांख्यिकी बदल सकती है।

इकाइयों की तुलना में सूक्ष्म इकाइयों का बड़ा हिस्सा बंद हो गया। द्वितीयक आंकड़े पर आधारित परिदृश्य विवेचना का इस्तेमाल करते हुए साहू (2020) ने अंदाजा लगाया कि एमएसएमई 2020 में पिछले साल के मुकाबले में 2.1 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत तक की गिरावट महसूस की गयी।

कुछ एमएसएमई फर्मों ने कोविड-19 संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। एन्ड्यूरेंस इन्टरनेशनल ग्रुप द्वारा आयोजित महानगरों के 500 एमएसएमई के ऑनलाइन सर्वे में पता चला कि सर्वे में शामिल 30 प्रतिशत एमएसएमई ने लॉकडाउन के बाद अपनी वेबसाइट बनायी या ई-कॉमर्स सेवा की सुविधा शुरू कर दी। यह ग्रुप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवा प्रदान करता है जिसे वेब होस्टिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है। सर्वे में शामिल पचास प्रतिशत से अधिक फर्मों ने लॉकडाउन के दौरान अपना कारोबारी जारी रखने के लिए व्हाट्सएप और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया (अवस्थी 2020)। एमएसएमई के डिजिटलाइजेशन का लाभ बाजार तक पहुंच से आगे भी है। इसमें अधिक कारगर वित्तीय प्रबंधन की क्षमता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल लेनदेन से एमएसएमई लेनदेन की ऐसी शृंखला बनती है जिससे नये और सस्ते वित्तीय स्रोतों तक पहुंच आसान होती है। सिस्को-इंडिया के लघु और मध्यम-आकार व्यापार डिजिटल परिपक्वता अध्ययन 2020 का अनुमान है कि एमएसएमई के डिजिटलाइजेशन से 2024 तक भारत की जीडीपी में 158-216 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है (दत्त, 2020)। हालांकि डिजिटलाइजेशन एमएसएमई के लिए अपनी चुनौतियां भी लाती हैं, जैसे कर्मचारियों का कौशल विकास और डेटा सुरक्षा।

मई 2020 में सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' नाम से उन कदमों के पैकेज का ऐलान किया जो कोविड-19 लॉकडाउन से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए था। एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे बड़ी पहल थी किफायती ब्याज दर पर बंधन-मुक्त मियादी कर्ज स्वीकृति के लिए तीस खरब रुपये (40 अरब अमेरिकी डॉलर) का प्रावधान, जो वर्तमान में 45 लाख एमएसएमई बैंकों और गैर वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ले रहे हैं। ये कर्ज 48 महीने की अवधि के लिए थे जिसपर 12 महीने का स्थगन (मोरेटोरियम) था। इस सुविधा को बाद में इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस या आपात साख सुरक्षा योजना) का नाम दिया गया। कुल जमा तीन खरब रुपये की राशि, एमएसएमई को दिये गये कुल कर्ज का लगभग 20 प्रतिशत थी। इसके अलावा दो खरब रुपये का प्रावधान एमएसएमई को सहायताप्राप्त ऋण (सबऑर्डिनेटेड डेट) देने के लिए किया गया जिसका वर्गीकरण एनपीए (नन परफॉर्मिंग असेट्स) या दबावग्रस्त पूंजी (स्ट्रेस असेट्स) के रूप में किया गया। पांच खरब रुपये का एक अलग फंड बनाया गया जो एमएसएमई को शेयर से मदद (इक्विटी इन्फ्यूजन) करने के लिए था। बैंकों और एनबीएफसी को इसकी अनुमति थी कि एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक देय मियादी कर्ज की सभी किरस्तों के भुगतान पर तीन माह का स्थगन (मोरेटोरियम) दें और इस अवधि में कार्यशील पूंजी पर सूद की वसूली को टाल दें (आरबीआई 2020 ए, बी)। ऋणदाता संस्थानों को इसकी अनुमति भी दी गयी कि ऋणधारकों के कार्यशील पूंजी चक्र का पुनर्आकलन करें और उनके द्वारा देय अतिरिक्त राशि (मार्जिन) को कम करें। अगस्त 2020 में बिजनेस लोन में डॉक्टर और वकील जैसे पेशवरों को शामिल करने के लिए सरकार की योजना को विस्तार दिया गया। कर्ज की अधिकतम सीमा को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पचास करोड़ रुपये किया गया। जून 2020 में एमएसएमई के लिए कर्ज से सम्बन्धित पृष्ठताछ में तेज वृद्धि से एमएसएमई ऋण प्रबंध पर इस योजना का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला (ट्रांसयूनियन सीबीआईएल 2020)।

हालांकि इस योजना के क्षेत्र में विस्तार, ईएलजीएस के लिए तीस खरब रुपये अलग करने के बावजूद सिर्फ 20.5 खरब रुपये स्वीकृत किये और इसमें से 4 दिसंबर, 2020 तक 15.8 खरब रुपये ही वितरित किये गये (वित्त मंत्रालय 2020)। शुरु में ईसीएलजी के धीमे उपयोग का कारण बैंकों की प्रक्रियात्मक देरी बतायी गयी लेकिन बाद में यह भी पता चला कि एमएसएमई की ओर से कम मांग भी इससे जुड़ी है क्योंकि उन्हें अपने व्यापारिक भविष्य के प्रति अनिश्चितता का सामना था (पालेपु 2020)। इस सुविधा को उपयोग में लाने की आखिरी तारीख मार्च 2021 थी (बनर्जी 2020)।

एमएसएमई का वित्त प्रबंधीय अन्तर

इन्टरनेशनल फाइनांस कार्पोरेशन (आईएफसी) ने भारत में 2018 में एमएसएमई के वित्त प्रबंधीय अंतर पर अपने अध्ययन में एमएसएमई द्वारा वित्त प्रबंध की कुल मांग को 877 खरब रुपये आंका था (1.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर), इसमें कर्ज की मांग 693 खरब रुपये थी और 184 खरब रुपये की इक्विटी लेने की मांग थी। इस अध्ययन का आकलन है कि वित्तीय दबाव वाले उद्यमों को अलग करने के बाद, वैसे उद्यम जो एक साल से कम से संचालित हो रहे थे, जिन्हें वित्तीय संस्थानों ने नकार दिया था, और जो वित्त के अनौपचारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, इस सेक्टर में 367 खरब रुपये के व्यवहार्य कर्ज की मांग है।

एमएसएमई को मिलने वाले वित्त प्रबंध में मात्र 16 प्रतिशत औपचारिक वित्तीय स्रोतों से पूरा होता है, शेष का प्रबंध सेल्फ-फाइनांस या अनौपचारिक वित्त से होता है। औपचारिक वित्त प्रबंध का 86 प्रतिशत भाग बैंकों से होता है। अनौपचारिक वित्त प्रबंध के

स्रोतों में दोस्त, परिवार, साहूकार और घुमंतू बचत और साख संघ शामिल होते हैं। इन संघों को आरओएससीए या चिट फंड भी कहा जाता है। व्यवहार्य इक्विटी-मांग 184 खरब रुपये होने का आकलन है, उद्यमों के इक्विटी योगदानों और प्रोपराइटरशिप व पार्टनरशिप की इक्विटी-मांग को छोड़कर, क्योंकि कानूनी तौर पर ये बाहरी पूंजी स्वीकार की अनुमति नहीं देते। उपलब्ध आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए अध्ययन में एमएसएमई के धन-प्रबंध (फंडिंग) के लिए मांग और आपूर्ति में करीब 258 खरब रुपये के अंतर का आकलन किया गया, जिससे लगभग 2 करोड़ 78 लाख उद्यम प्रभावित होते हैं।

एमएसएमई को संस्थागत वित्त प्राप्ति में एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि उनके पास बंधक (कोलैटरल) रखने के लिए कुछ नहीं होता, जिससे उन्हें बैंक लोन के लिए कोई प्रतिभूति (जमानत) देना मुश्किल होता है (आईएफसी 2012)। एक और बड़ी बाधा यह है कि इस सेक्टर में सूचना की अस्पष्टता होती है। चूंकि अनेक एमएसएमई अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा नकदी में करते हैं तो अक्सर उनका कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है। परिणामस्वरूप, ऐसी इकाइयां वित्तीय दस्तावेज तैयार करने में असमर्थ होती हैं। चूंकि अधिकतर एमएसएमई अब तक औपचारिक कर्ज पाने से दूर हैं, इसलिए उनके पास साख-इतिहास भी नहीं होता। कई बार के मौका मुआयनों (साइट विजिट) से एमएसएमई के लिए विस्तृत ऋण मूल्यांकन किया जा सकता है लेकिन इसमें काफी अधिक खर्च (ट्रान्जैक्शन कॉस्ट) पड़ेगा। एमएसएमई को मिलने वाले आम कर्ज की अपेक्षा छोटे इकाई मूल्य को देखते हुए इस तरह का बड़ा लेनदेन-खर्च एमएसएमई को कर्ज देना अव्यवहार्य बना सकता है।

यह भी पता चला कि एमएसएमई को कर्ज मिल भी जाए तो उस कर्ज पर लगने वाले सूद की दर अक्सर बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर से अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बड़े उद्यमों पर लागू ऋण मॉडल एमएसएमई पर लागू होता है तो एमएसएमई की रेटिंग कम होती है, जिसके नतीजे में उनके द्वारा लिये गये कर्जों पर सूद की दर अधिक होती है। इसके अलावा बंधक देने में असमर्थता से एमएसएमई को अन्य लाभों से वंचित होना पड़ता है जिससे उनकी रेटिंग कम होती है। उदाहरण के लिए, एमएसएमई के पास अक्सर अपने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से मोलभाव करने की स्थिति नहीं होती जिससे कार्यशील पूंजी पाने में उन्हें प्रतिकूल शर्तों का सामना करना होता है जिससे उनकी मौद्रिक तरलता (लिक्विडिटी) प्रभावित होती है।

भारत में एमएसएमई ऋण का तंत्र

क. शीर्ष बैंक

स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने, विकसित करने और कर्ज देने वाला प्राथमिक आर्थिक संस्थान है। सिडबी बैंकों, माइक्रो फाइनांस संस्थानों (एमएफआई), छोटे वित्तीय बैंकों (एसएफबी) और एनबीएफसी को पुनर्वित्त (रिफाइनांस) प्रदान करता है जिसमें नये जमाने की वित्त-तकनीक कंपनियों भी हैं।⁵ यह संस्थान नवाचारी वित्तीय उत्पादों के लिए सीधे कर्ज देता है, इसका उद्देश्य उन उत्पादों को मुख्यधारा में लाने से पहले, उनके उपयोग का प्रदर्शन होता है। इसके साथ, सिडबी एमएसएमई स्टार्ट-अप को वेंचर कैपिटल फंड्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से फंड देता है। 31 मार्च 2021 तक सिडबी के ऋण और अग्रिम की राशि साढ़े सोलह खरब रुपये थी (सिडबी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20)।

लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों पर खासतौर से ध्यान देने के लिए 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी (मुद्रा) बैंक की स्थापना सिडबी के अनुषंगी के तौर पर की गयी थी। 'मुद्रा' बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यम कर्ज उपलब्ध कराने वाले अंतिम छोर के स्रोत⁶ को पुनर्वित्त प्रदान करता है जिसकी तीन श्रेणियां हैं: 50 हजार रुपये तक, 50 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक, और पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक। इन तीन श्रेणियों से उम्मीद है कि ये सूक्ष्म उद्यमों को विभिन्न स्तरों पर काम आएं, हालांकि 60 प्रतिशत 'मुद्रा' बैंकिंग के पैसे पहली श्रेणी के लिए निर्धारित हैं। ये कर्ज आमदनी की गैर-कृषि गतिविधियों के लिए हैं। 'मुद्रा' बैंक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऋण दाता संस्थान के लिए निधि की औसत लागत और फिर इससे कर्जदारों के लिए ब्याज दर कम करना है। विभिन्न प्रकार के ऋणदाताओं के लिए ब्याज दर की सीमा तय की गयी है। उदाहरण के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के मामले में एक खरब रुपये से अधिक ऋण-क्षमता (लोन पोर्टफोलियो) वाले एमएफआई के लिए सूद लेने की सीमा 10 प्रतिशत है और छोटे एमएफआई के लिए जिनका लोन पोर्टफोलियो एक खरब से कम हो, यह 12 प्रतिशत है

⁵ सिडबी वेबसाइट (24 दिसंबर 2020 को)


⁶ 'लास्ट माइल प्रोवाइडर' या अंतिम छोर के स्रोत से मतलब उस इकाई जो अंततः ग्राहक से करार करता है, इसके उलट बाकी इकाइयां हैं जो बैंकसेवा रहित आबादी को वित्तीय सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में महज वित्तीय माध्यम बनती हैं।

या पांच बड़े व्यावसायिक बैंकों के औसत बेस रेट के 2.75 गुना में से जो कम हो। बैंकों के मामले में सूक्ष्म इकाइयों को दिये जाने वाले कर्जों पर आरबीआई ने बेस रेट या निधि-आधारित ऋण दर के सीमांत मूल्य (मार्जिनल कॉस्ट) पर सूद की सीमा तय कर रखी है। इसी तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारिताएं अपने मूल कर्जदार से 'मुद्रा' पुनर्वित्त दर से ऊपर और अधिक 3.50 प्रतिशत तक ही शुल्क ले सकते हैं। एनबीएफसी के मामले में आरबीआई ने 'मुद्रा' खंड को ऋण देते हुए 'मुद्रा' पुनर्वित्त दर से ऊपर और अधिक सूद की दर को 6 प्रतिशत तक सीमित किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 'मुद्रा' लोन के रूप में कुल 32 खरब रुपये दिये गये।

ख. एमएसएमई ऋण प्रदाता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और नन-बैंकिंग फाइनांस कंपनियां एमएसएमई को औपचारिक कर्ज देने वाले मुख्य प्रदाता हैं। 31 मार्च 2020 को इनमें से हर एक प्रदाता के हिस्से का निरूपण चित्र 1 में किया गया है।⁷

चित्र 1



(स्रोत: लेखक ने यह आंकड़ा ट्रांसयूनियन सीबीआईएल, 2020 से लिया है)

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने और ईसीएलजीएस की घोषणा के बाद 30 जून 2020 तक एनबीएफसी का हिस्सा 9.7 प्रतिशत गिर गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 51.6 प्रतिशत बढ़ा (ट्रांसयूनियन सीबीआईएल 2020) है। उम्मीद की जा रही है कि एनबीएफसी के हिस्से में गिरावट अस्थायी है (वही)। भारत में बैंकों के लिए आरबीआई ने यह जरूरी कर रखा है कि वह अपने समायोजित शुद्ध बैंक साख (एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट- एएनबीसी) का 40 प्रतिशत ऋण एक निर्धारित "प्राथमिकता सेक्टर" को देंगे⁸, जिसका एक भाग एमएसएमई है। एएनबीसी का एक दूसरा लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों को 7.5 प्रतिशत ऋण देना है। एक समय में एमएसएमई को मिलने वाले कर्ज पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कब्जा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ उनकी हिस्सेदारी कम हुई है (ट्रांसयूनियन सीबीआईएल 2020)। 2015 में छोटे वित्तीय बैंकों को लाइसेंस देने से निजी बैंकों की एक नयी श्रेणी बनी जिनका विशेष ध्यान एमएसएमई सेक्टर पर था। इन बैंकों के लिए जरूरी है कि वे अपने एएनबीसी का 75 प्रतिशत प्राथमिकता सेक्टर को दें। इनमें कई संस्थान बैंकिंग लाइसेंस पाने से पहले माइक्रोफाइनांस संगठन थे और वे अपना क्षेत्र माइक्रोफाइनांस लोन से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। एमएसएमई पर केन्द्रित कई तरह की एनबीएफसी भी सामने आयी हैं। पहले कई एनबीएफसी प्राथमिक रूप में बाजार के ट्रक वित्त छोर पर केन्द्रित थीं, नयी एनबीएफसी दूसरे क्षेत्रों में अवसर देख रही हैं जैसे खास टेक्सटाइल्स समूह और कृषि मूल्य

⁷ 'मुद्रा' बैंक वेबसाइट (www.mudra.org.in) 16, 2021

⁸ 4 सितंबर 2020 को आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए वृहत दिशानिर्देश में परिभाषित

शुंखला। एक नये प्रकार की एनबीएफसी भी है जो डिजिटल डेटा पर आधारित है (इसकी व्याख्या ऋण मॉडल वाले अगले भाग में की गयी है)।

ग. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई)

2000 में जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिये जाने वाले बंधक-मुक्त कर्जों के लिए 50 से 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर देती है जो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों और चुने हुई एनबीएफसी, छोटे वित्तीय बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा दिये जाते हैं और जिनके साथ सीजीटीएमएसई का अनुबंध होता है। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण सुविधा की सीमा 2 करोड़ रुपये है। इस गारंटी के तहत मियादी कर्जों का मूलधन और एक तिमाही का सूद आता है। कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में कुल बकाया (सूद सहित) जो खाते को एनपीए (अलाभकारी पूंजी) घोषित किये जाने की तारीख को हो या उस तारीख को जब मुकदमा किया जाता हो, दोनों में से जिसमें कम हो वह इसके तहत आता है। गारंटी शुल्क अलग-अलग होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऋण देने वाले संस्थान (इसके एनपीए के स्तर और दावा भुगतान-क्लेम पेआउट्स के अनुपात पर आधारित) पर लागू होने वाले जोखिम प्रीमियम (रिस्क प्रीमियम) पर निर्भर होता है। 2018 में इस निधि संग्रह को तीन गुना कर अस्सी अरब रुपये कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल जमा 458.5 अरब रुपये की गारंटी स्वीकृत की गयी (सीजीटीएमएसई)।

घ. क्रेडिट ब्यूरो

देश में पहला क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन सीबीआईएल द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। अब ऐसे छह ब्यूरो हैं जो लोगों को साख-इतिहास बनाने में मदद करते हैं। अक्सर एमएसएमई के मालिक अपने व्यक्तिगत साख-इतिहास के आधार पर कर्ज लेते हैं और उनका इस्तेमाल अपने उद्यम के लिए करते हैं हालांकि उनमें से कई के पास अकेली प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप होती है। 2017 में ट्रांसयूनियन सीबीआईएल ने एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट रिस्क रैंकिंग जारी की जिसमें अगले 12 महीनों में कर्ज-अभुगतान के खतरों के आधार पर एमएसएमई का आकलन किया जाता है। बैंकों द्वारा सिस्टम में डाले गये आंकड़े पर आधारित कलन-पद्धति (अलगोरिदम) का इस्तेमाल करते हुए एमएसएमई को 1 से 10 तक की रैंकिंग दी जाती है, 1 रैंकिंग जिसमें न्यूनतम जोखिम वाले एमएसएमई के लिए होती है। रैंक का आधार साख रूपरेखा (क्रेडिट प्रोफाइल), साख व्यवहार और सांगठनिक विवरण (फर्मोग्राफिक्स, साख के मामले में अतीत और वर्तमान) (आरबीआई 2019)।

ङ. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

2005 में एसएमईआरए⁹ की स्थापना विशेष तौर पर एमएसएमई की रेटिंग के लिए की गयी जो 'सिडबी', डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और कुछ दूसरे व्यावसायिक बैंकों का संयुक्त उद्यम है। उस समय यह महसूस किया गया कि भारत में हालांकि कई रेटिंग एजेंसियां मौजूद हैं लेकिन उनका मुख्य ध्यान बड़े कॉर्पोरेशन पर था। ऐसा माना गया कि एमएसएमई की रेटिंग के लिए उस सोच से अलग सोच की जरूरत है जो आमतौर पर बड़े कॉर्पोरेशंस की रेटिंग में अपनायी जाती है।

2004-05 में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पीसीआरएस यानी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम की घोषणा की गयी ताकि वे वहां से रेटिंग ले सकें।

इसके पीछे तर्क यह था कि रेटिंग्स से बैंकों से सस्ता और तेज वित्त प्रबंध होगा। आरबीआई ने बैंकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण बढ़ाने में इन रेटिंग्स का इस्तेमाल करें। इस स्कीम से ऐसे उद्यमों को रेटिंग एजेंसियों से अपनी पहली साख-रेटिंग के लिए रेटिंग शुल्क के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेन्ट) लेने की पात्रता मिलती है। एसएमईआरए के अलावा, यह तय किया गया कि देश में एमएसएमई की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और उद्यमों को अधिक विकल्प देने के लिए इस स्कीम में दूसरी बड़ी रेटिंग एजेंसियों को भी शामिल किया जाए। पीसीआरएस के फलस्वरूप कई बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने जल्द ही अपना एमएसएमई प्रभाग खोल दिया ताकि उस सेक्टर पर फोकस किया जाए। एमएसएमई के लिए खास टीम बनाने के अलावा इस बात की भी जरूरत महसूस की गयी कि एमएसएमई की रेटिंग करने के लिए अनुकूलित मॉडल बनाया जाए। बड़े कॉर्पोरेशनों को रेटिंग देने वाले मानक रेटिंग मॉडल स्वभावतः एमएसएमई के खिलाफ होते हैं क्योंकि उनमें संचालन के छोटे स्तर, परिसंपत्तियों के कम मूल्य और कमजोर मोलभाव शक्ति से होने वाली कमजोरियां होती हैं। इसके कारण खासकर एमएसएमई के लिए 8 अंकों का रेटिंग मापदंड बनाया गया, ताकि ऐसे उद्यमों की तुलना समकक्षों से हो, न कि बड़े कॉर्पोरेशनों से। मानक रेटिंग मॉडल की तरह जो मॉडल विकसित किया गया उसमें कारोबार, वित्त, संचालन और प्रबंध के जोखिम का ख्याल रखा गया लेकिन इसमें उद्यम की संचालन क्षमता को ज्यादा वजन दिया गया और वित्तीय क्षमता को कम।

⁹ मई 2018 में एसएमईआरए ने अपना नाम बदलकर एक्वाइटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड कर लिया है ताकि खुद को एक पूर्ण रेटिंग एजेंसी के तौर पर पेश करे जिसके पास विविध ग्राहक आधार हो, क्योंकि एसएमई रेटिंग उसके कुल कारोबार का पचास प्रतिशत ही होता है।

मौका-मुआयना और मालिकों के साथ इन्टरव्यू एमएसएमई रेटिंग का अनिवार्य हिस्सा है। उद्यमों के वित्तीय रेकॉर्ड्स की विस्तार में जांच-पड़ताल होती है और रेकॉर्ड रखने की गुणवत्ता को आंकने के लिए स्टॉक ऑडिट होती है। अगर पिछले वित्तीय रेकॉर्ड्स में कोई अंतर होता है तो इसे ठीक किया जाता है। चूंकि रेटिंग एजेंसियों को पिछले तीन सालों के ऑडिट किये हुए खाते रखने की जरूरत होती है, तो इनके उपलब्ध न होने पर इन्हें सुविधा मुहैया कराने वालों को इन्वॉयस के आधार पर उनके खाते तैयार करना होता है और उन खातों की ऑडिटिंग होती है।

चूंकि पीसीआरएस का एक प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर में चल रही सूचना विषमता को कम करना है और एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंकों द्वारा समय को कम करना है, इसलिए एमएसएमई के बारे में रेटिंग रिपोर्ट बड़े कॉर्पोरेशनों से अधिक विस्तृत होती है। ऐसी रिपोर्टें आमतौर पर छह से सात पेज लंबी होती हैं और इसमें जीपीएस से निर्धारित सटीक पता सहित उद्यम के संचालन की जानकारी होती है (शंकर 2019)।

भारत में एमएसएमई की रेटिंग की मुख्य चुनौती यह है कि कई एमएसएमई के द्वारा रेटिंग का अनुरोध इसलिए किया गया था क्योंकि पीसीआरएस के तहत सब्सिडी मिलती है। चूंकि सब्सिडी की उपलब्धता उस साल की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है, इससे यह स्कीम गैरभरोसेमंद हो जाती है। इसके अलावा एक चुनौती इस बात में भी है कि चूंकि सब्सिडी एमएसएमई की पहली रेटिंग पर उपलब्ध है, इसलिए रेटिंग का नवीकरण कुछ ही उद्यमों ने कराया। एनएसआईसी द्वारा अधिकृत पीसीआरएस के बारे में 2012 के एक अध्ययन से पता चला कि जिन उद्यमों से संपर्क किया गया उनमें सिर्फ 32 प्रतिशत ने पिछले तीन सालों में अपनी रेटिंग का नवीकरण कराया था (महापात्रा, 2012)। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अधिकारियों से बातचीत में इशारा मिला कि क्रेडिट रेटिंग के लिए सब्सिडी ले चुके एमएसएमई द्वारा नवीकरण कराने का प्रतिशत 20 से भी कम था। चिंता का दूसरा विषय यह है कि क्रेडिट रेटिंग से मिलने वाला एक प्रमुख लाभ एमएसएमई के बैंक लोन पर ब्याज दर में कमी है, लेकिन एमएसएमई के कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो उच्च रेटिंग के बावजूद सूद की दर कम कराने में कामयाब नहीं हुए।

च. एमएसएमई ऋणदाताओं के लिए सूचना के अन्य स्रोत

जीएसटी लागू होने से एमएसएमई के बारे में ज्यादा आंकड़े उपलब्ध होने लगे हैं जो सिस्टम में दर्ज होते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि आंकड़े सत्यापित होते हैं (एन्वॉयस का मिलान कराया जाता है), प्रकृति में विस्तृत (एन्वॉयस स्तर का विवरण उपलब्ध होता है), ताजा (मासिक या त्रैमासिक), और इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध (ओमिडयार-बीसीजी 2020) होते हैं। बिजनेस का गुर बताने वाले कुछ प्रदाताओं ने इस डेटा का इस्तेमाल संभावित ग्राहकों की तलाश कर रहे ऋणदाताओं के लिए उपभोक्ता-सहज उत्पाद बनाने के लिए किया। ऋणदाताओं के लिए लाभकारी डेटा के कुछ दूसरे स्रोत भुतान कम्पनियां, मोबाइल संचालक, जनउपयोगी सेवाएं और ऑनलाइन क्लाउड-आधारित अकाउंटिंग सिस्टम हैं।

भारत में सार्वजनिक डिजिटल ढांचा इंडियास्टैक¹⁰ के माध्यम से उपलब्ध हैं, यह एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपीआई) का समूह है जो सर्विस और उपकरणों के बीच तत्क्षण संचार स्थापित करता है। इसका उद्देश्य भारतीय कम्पनियों को आधारभूत परतों का एक समूह उपलब्ध कराना है जिन पर कम अतिरिक्त शुल्क (मार्जिनल कॉस्ट) पर सेवाएं दी जा सकें। पहली परत पहचान की परत है जो हर नागरिक को 'आधार' बायोमीट्रिक के जरिए अपनी पहचान साबित करने के योग्य बनाता है। अगली परत भुगतान की है जो हर एक को इस योग्य बनाती है वह किसी को एक तेज और कम-लागत वाले तरीके से भुगतान करे। अंत में डेटा सशक्तिकरण परत है जो सुरक्षित डेटा साझाकरण को संभव बनाता है (सिंह 2020)। इंडिया स्टैक और दूसरे एपीआई एमएसएमई के बारे में डेटा का सूक्ष्म-स्तरीय सत्यापन संभव बनाते हैं। संस्था का डेटा, व्यक्तिगत डेटा, वित्तीय और कर डेटा, जनोपयोगी-सेवा डेटा, क्रेडिट ब्यूरो डेटा के साथ-साथ सोशल व मोबाइल डेटा को संस्था या व्यक्ति की समुचित सहमति से प्राप्त और सत्यापित किया जा सकता है।

एक और पहल 2016 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एमएसएमई डेटाबैंक है। यह अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की ऑनलाइन गणना की एक कोशिश है। इस डेटाबैंक में यह कोशिश होती है कि टर्नओवर या कुल लेनदेन, निवेश, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों व सेवाओं, क्रेडिट रेटिंग, संयुक्त उद्यम, तकनीक-स्थानांतरण, और मशीनरी के आयात-निर्यात के बारे में जानकारी रहे। सरकारी सहायता योजना का लाभ ले रहे एमएसएमई के लिए यह अनिवार्य है कि वे इस डेटाबैंक पर अपना विवरण दर्ज कराएं।

¹⁰ स्टैक किसी एप्लीकेशन के संचालन के लिए जरूरी सभी तकनीकों से बना होता है: कम्प्यूटर लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, लाइब्रेरी, सर्वर, यूजर इन्टरफेस और अनुभव, और सॉफ्टवेयर- सवयं ऐप्स, और डेवलपर्स के जरिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जैसे कि एपीआई, जो डेटाबेस और सॉफ्टवेयर को जोड़ते हैं। (<https://www.digfingroup.com/what-is-india-stack/>)

सुरक्षित कर्ज (सेक्योर्ड लोन) के लिए सीईआरएसएआई (सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरीटाइजेशन असेट रिकन्सट्रक्शन ऍंड सिक्यूरीटी इंटरैस्ट ऑफ इंडिया) अचल, चल, अमूर्त संपत्तियों पर लागू शुल्क और प्राप्यों के लिए कार्यभार की जानकारी देती है।

छ. खाता समूहक (अकाउंट एग्रीगेटर)

एनबीएफसी विशेष खाता समूहक होते हैं जो वित्तीय डेटा के लिए सहमति प्रबंधक का काम करते हैं। वे वित्तीय सूचना प्रदाताओं से वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं तक एनक्रिप्टिक डेटा के बहाव में नालिकाओं का काम करते हैं। वर्तमान में सात खाता समूहकों को आरबीआई से स्वीकृति मिली है।

ज. ऋण मंच

एमएसएमई पर खास तौर से केन्द्रित कई ऋण मंच स्थापित किये गये हैं। ट्रेड रिसेवेबल्स डिस्काउन्टिंग सिस्टम (ट्रेड्स) वित्त प्रदाताओं के जरिए एमएसएमई के वित्त प्रबंध और व्यापारिक प्राप्य पर रियायत की सुविधा दिलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो 2014 से संचालित है (आरबीआई 2020 सी)। ऑनलाइन बोली की व्यवस्था से एमएसएमई को कम मूल्य वाले कोष की सुविधा मिलती है। फिलहाल तीन कम्पनियां 'ट्रेड्स' मंच संचालित कर रही हैं। एमएसएमई लोन के लिए ऑनलाइन बाजार की स्थापना की गयी है जिसके जरिए एमएसएमई और संभावित ऋणदाता संपर्क बना सकते हैं। कर्जों के लिए मूल्य का पता बोली लगाते समय ही चल जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्जों के लिए भी ऑनलाइन मंच संचालित हैं।

जुलाई 2020 में इंडिया स्टैक्स में एक अहम इजाफे का ऐलान किया गया जिसे 'ओपन क्रेडिट इनैबलमेन्ट नेटवर्क (ओसीईएन)' नाम दिया गया था। ओसीईएन एक साख नियामवली संरचना (क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर) है जो आबादी के स्तर पर डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म बना सकता है और ऋणदाताओं का समुदायों (संभावित ऋणधारकों का नेटवर्क) से संपर्क बनवा सकता है (नीलेकणि 2020)। इसे इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन्डस्ट्री राउंडटेबल (आईएसपीआईआरटी) नामी थिंक टैंक (विचार समूह) ने बनाया है जिसका उद्देश्य कमना नहीं है, यह अधिकतर स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाता है। 'ओसीईएन' के तहत संभावित एमएसएमई कर्जदारों को कर्ज दिलाने में समुदाय या बाजार ऋण सेवा प्रदाता की तरह काम कर सकते हैं। एमएसएमई ऋण लेने वालों के संचलानों के बारे में ऋण सेवा प्रदाता की जानकारी से उम्मीद होती है कि कम-लागत, बंधक मुक्त और कम-जोखिम वाले नकदी-प्रवाह आधारित कर्जों की रूपरेखा तय करने में मदद मिले।

झ. एमएसएमई ऋण मॉडल्स

भारत में कर्ज देने का फैसला बैंक आमतौर पर कई आधार पर करते हैं जैसे उद्यम के वित्तीय लेखा-जोखा और व्यक्तिगत मुलाकातों व व्यापार के बारे में पूछताछ के जरिए प्रमोटर्स की योग्यता और विश्वसनीयता के आकलन आदि से (थम्पी 2010)। जैसा कि पहले उल्लेखित है, कई छोटे एमएसएमई वित्तीय लेनदेन को व्यवस्थित ढंग से दर्ज नहीं करते हैं। वे अपना वित्तीय लेखा-जोखा तैयार करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स को शुल्क देने में भी असमर्थ होते हैं। इसलिए अक्सर ऐसे उद्यमों को वित्तीय लेखा-जोखा के आधार पर कर्ज देने वाले इन्हें छांट देते हैं। एमएसएमई को कर्ज देने का एक और प्रचलित तरीका यह है कि उद्यम या उद्यमी की स्वामित्व वाली संपत्ति को बतौर बंधक रखा जाता है। सबसे ज्यादा आम तरीका जमीन या सोना बंधक रखकर कर्ज देने का है। इस मॉडल में एमएसएमई को अक्सर छांट दिया जाता है क्योंकि वे ऐसी सामग्री बतौर बंधक देने में समर्थ नहीं होते हैं। तीसरा मॉडल पिछले डेटा के आधार पर एमएसएमई को मिलने वाले क्रेडिट स्कोर पर आधारित है। हालांकि ऐसे मॉडल्स विकसित देशों में आम हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में इन्हें विशेष रूप से विकसित करने की जरूरत है जिसमें एमएसएमई को कर्ज देने के बारे में पिछले डेटा का इस्तेमाल हो क्योंकि एमएसएमई के लिए वित्त प्रबंध लंबे समय से उपेक्षित रहा है। भारत में फिलहाल एमएसएमई से सम्बन्धित इतनी बड़ी संख्या में पिछला डेटा एक जगह जमा किया हुआ उपलब्ध नहीं है। भारत में कुछ बैंकों ने उपलब्ध डेटा पर आधारित अपने मॉडल्स बनाये हैं (जोशी 2014) लेकिन अधिकतर ऋणदाताओं को उनतक पहुंच हासिल नहीं है।

चूंकि ऊपर वर्णित मॉडल्स की उपयोगिता एमएसएमई के लिए वित्त प्राप्ति की बढ़ती जरूरत पूरी करने में सीमित है, इसलिए नकदी-प्रवाह आधारित ऋण का प्रचलन बढ़ रहा है। इस प्रणाली में संभावित ऋणदाता किसी फर्म की नकदी-प्रवाह की पड़ताल करते हैं ताकि उसकी कर्ज वापसी की क्षमता और कर्ज की राशि तय कर सकें। एमएसएमई के बारे में 2019 की यू.के. सिन्हा समिति ने यह सिफारिश की थी कि बैंक इस प्रणाली को अपनायें (आरबीआई)। बैंक कई तरह के तरीके अपनाकर किसी फर्म की नकदी-प्रवाह का आकलन करते हैं, जैसे जीएसटी डेटा, ई-कॉमर्स लेनदेन, फर्म जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेते हैं वहां

से मिले डेटा और फर्म की सप्लाय चैन से मिले डेटा का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऋणदाता कर्ज मंजूर करने से पहले छोटे व्यापारियों को वित्तीय लेनदेन का डिजिटल तरीके से रेकॉर्ड दर्ज कराने में उन्हें इस उद्देश्य के लिए किसी सॉफ्टवेयर या मोबाइल-आधारित ऐप्स की सुविधा देकर मदद करते हैं। डिजिटल डेटा और सार्वजनिक डिजिटल संरचना की उपलब्धता से डिजिटल डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऋण देने के लिए एक नया अवसर बना है¹¹। डिजिटल मॉडल्स ने कुछ एनबीएफसी के लिए यह संभव बनाया है कि वे ऋण देने का निर्णय लेने में विभिन्न प्रकार के 'डिजिटल व्यक्तियों' की पहचान करें। कुछ एनबीएफसी न सिर्फ डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करते हैं बल्कि समूची ऋण प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करते हैं। दूसरे "फिजिटल मॉडल्स" इस्तेमाल करते हैं जिसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों चैनल्स का इस्तेमाल होता है।

एमएसएमई क्रेडिट रिस्क डेटाबेस: भारतीय संदर्भ में परिकल्पना और जरूरत

क्रेडिट रिस्क डेटाबेस (सीआरडी) एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस है जिसमें एक खास समूह के कर्जदारों के वित्तीय लेखा-जोखा और अभुगतान से सम्बन्धित डेटा होता है। सीआरडी का उद्देश्य इस समूह को कर्ज देने के फैसले में बेहतर लाने के लिए मानदंड विकसित करने में अंतरदृष्टि देनी है। यह अंतरदृष्टि भविष्य में इस समूह को ऋण देने का फैसला करने के दौरान साख जोखिम का आकलन करने में ऋण-प्रदाताओं को मदद कर सकती है। लघु और मध्यम उद्यमों के ऐसे ही सीआरडी का उदाहरण है सीआरडी एसोसिएशन ऑफ जापान जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना एमएसएमई को लोन देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी थी।

क. सीआरडी भारत में एमएसएमई केन्द्रित पहलों से विशिष्ट कैसे है

एमएसएमई पर केन्द्रित सीआरडी उन सब पहलों से अलग मकसद को पूरा करेगा जो भारतीय संदर्भ में सूचना असममिति कम करने के लिए की गयी हैं। उदाहरण के लिए क्रेडिट ब्यूरो को काम सीआरडी से अलग है। क्रेडिट ब्यूरो के पास कर्जदारों पर केन्द्रित डेटा होता है और यह संस्थान के पिछले वित्तीय व्यवहार के बारे में मूल्यवान सूचना देता है। दूसरी तरफ सीआरडी एक विस्तृत डेटाबेस होता है जो वित्तीय लेखा-जोखा से संबंधित सामग्री एकत्रित करता है, जिसमें कुछ गैर वित्तीय सामग्री, और अभुगतान-संबंधी सूचना भी होती है, जो सीआरडी सदस्य वित्तीय संस्थानों से जांच और निगरानी के वक्त जमा की जाती है। सीआरडी डेटाबेस किसी खास एमएसएमई प्रबंधन स्थिति के उल्लेख के लिए नहीं होती बल्कि एक मॉडल बनाने के लिए होती है जो सांख्यिकीय रूप से किसी एमएसएमई के कर्ज लेने की पात्रता जांचता है या सदस्यों को सांख्यिकीय सूचना देता है। इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती कि डेटाबेस में किसी एमएसएमई की पहचान की जाए और डेटा अनाम डेटा के तौर पर जमा किया जाता है। क्रेडिट ब्यूरो और सीआरडी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारीयां महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। भारतीय संदर्भ में ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल द्वारा उलब्ध करायी गयी "सीआईबीआईएल एमएसएमआई रैंक" एक खास एमएसएमई क्रेडिट प्रोफाइल, साख व्यवहार और सांगठनिक ब्योरे जैसे सबसे अच्छी स्थिति और हाल की स्थिति पर आधारित होती है। सीआरडी डेटा पर आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल एमएसएमई के वित्तीय लेखा-जोखा पर आधारित होगा।

सीआरडी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के सिद्धांत से भी अलग होता है जिसका अध्ययन 2018 में श्री वाई.एम. देवस्थली के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने किया था। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कर्जदारों के बारे में साख सूचना का एक विस्तृत डेटाबेस है, जिसे उपलब्ध कराना हर ऋण प्रदाता के लिए अनिवार्य है। क्रेडिट रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य साख बाजारों में अधिक पारदर्शिता लाना है और कर्जदारों के अधिक पूर्ण साख इतिहास तैयार करने को संभव बनाना है (आरबीआई 2018)। दूसरी तरफ सीआरडी बनाने से ऋण-प्रदाताओं को जोखिम के आकलन में मदद मिलेगी।

भारतीय संदर्भ में एक और पहल, 2016 में बनाया गया एमएसएमई डेटाबैंक भी सीआरडी से बिल्कुल अलग है। पहला एमएसएमई की गणना विकसित करने में और खासतौर पर सरकारी एजेंसियों के लिए एमएसएमई से जीएसटी प्राप्त करने के अपने लक्ष्य का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत हासिल करने में उपयोगी है।

ख. भारतीय संदर्भ में सीआरडी की जरूरत: एमएसएमई कर्जों को बड़ा जोखिम भरा मानने का ख्याल

वित्तीय संस्थान आम तौर पर एमएसएमई को ऋण देना, उनके व्यापार के बारे में अधूरी समझ के कारण बड़े जोखिम वाला मानते हैं (आईएफसी 2018)। भारतीय बैंकों ने हाल के दिनों में खास तौर पर जोखिम लेने में अनिच्छा दिखायी है। आरबीआई ने 2020 की अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि जोखिम लेने में अनिच्छा से अर्थव्यवस्था के कारगर क्षेत्रों को मिलने वाले कर्ज में

¹¹ भारत में ऋण मंचों की संख्या में वृद्धि ने चिंताओं को भी जन्म दिया है क्योंकि ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ मंच अनैतिक वृद्धि व्यवहारों, उच्च ब्याज दर और धोखाधड़ी में संलिप्त हैं। इसके हल के लिए कदम सुझाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल ऋणदान

दिवक्तें आयी हैं और अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका भी नजरअंदाज हुई है (आबीआई, 2020)। इस परिदृश्य में इस सेक्टर के लिए कर्जों की प्रवाह बढ़ाने से ढांचागत कामों में निवेश का लाभ हो सकता है जिससे ऋणदाता कर्ज देने के लिए अधिक जानकारी के साथ फैसला लेने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई कर्जों के बारे में अधिक—जोखिम वाली बात निराधार नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई से बड़े स्तर पर एनपीए की शिकायतें हैं। इन बैंकों की एनपीए दर जून 2018 से जून 2020 के बीच 16.7 प्रतिशत से 18.6 प्रतिशत तक रहा है (ट्रांसयूनियन, सीआईबीआईएल, 2020)। जून 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के एमएसएमई ऋण की कुल एनपीए दर जून 2020 के व्यावसायिक कर्जों की कुल एनपीए दर से अधिक थी। निजी बैंक और एनबीएफसीए की एनपीए दर कहीं कम क्रमशः 3.8 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत के दायरे में थी। हालांकि एमएसएमई कर्ज बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से मिलता है। जून 2020 में यह हिस्सा 51.6 प्रतिशत था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 38.7 प्रतिशत और एनबीएफसी का हिस्सा 9.7 प्रतिशत था। एमएसएमई क्षेत्र के सबसे बड़े ऋण—प्रदाता का बड़ा एनपीए अनुपात इस बात की जरूरत उजागर करता है कि एमएसएमई के लिए कर्जों के निर्णय में सहायता देने और इसे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा बनाया जाए। 'मुद्रा' योजना के तहत, जिसके लिए सरकार ने ऋण देने वाले संस्थानों के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये थे, सूक्ष्म और लघु उद्यम केन्द्रित कर्जों पर भी दबाव के लक्षण दिखने लगे हैं। आरबीआई ने बैंकों से ऐसे कर्जों के बारे में मूल्यांकन को बेहतर करने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है (घोष 2019)। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 'मुद्रा' लोन का 15 प्रतिशत दबाव में बताया जाता है (घोष 2020)¹²।

एमएसएमई सेक्टर की अस्थिरता और इसका जोखिम स्तर इसलिए भी अधिक माना जाता है कि एमएसएमई की निर्भरता बहुत कम साझीदारों और अनुबंधों पर होती है, खासकर बड़ी कंपनियों के सप्लायर्स के मामले में। उदाहरण के लिए जब एक बड़े कॉर्पोरेट, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में फैक्टरी बंद होने से संकट हुआ¹³ तो कंपनी खुद डिफॉल्टर नहीं बनी लेकिन कई एमएसएमई, जो इससे व्यापार पर निर्भर थे, पैसे फंसे होने (लिविडिटी) की समस्या के कारण बैंकों को कर्ज वापस करने से चूक गये। इसी कारण ऐसे उद्यम बैंकों के जरिए अलाभकारी कर्ज (एनपीएल— नन—परफॉर्मिंग लोन) के रूप में वर्गीकृत किये गये, हालांकि बाद में उन्होंने अपने कर्जों की वापसी कर दी (सिंह 2017)।

ग. एमएसएमई सेक्टर की विविधता

इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि भारत में एमएसएमई सेक्टर काफी विविध है। इसका मतलब हुआ कि कोई मानक मापदंड नहीं जो सबपर लागू किया जा सके। इसकी संभावना भी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मापदंड अलग-अलग हों। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर भौगोलिक क्षेत्र के हर एक एमएसएमई समूह के लिए मापदंड तय किये जाएं। हर समूह के लिए मापदंड बनाने में हर ऋणदाता को काफी समय लग सकता है। आंकड़ों का व्यवस्थित—संग्रह (पूलिंग) बड़ी संख्या में समूहों के बारे में समझ बढ़ाता है।

घ. एमएसएमई लोन के लिए मांग—आपूर्ति खाई

एमएसएमई लोन के लिए मांग और आपूर्ति की बड़ी खाई को पाटने के लिए एमएसएमई लोन की मात्रा को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल इजेशन का रुझान अच्छी निशानी है लेकिन इस रुझान का पूरा लाभ लेने के लिए एकत्रित सूचना का इस्तेमाल एक बड़ा क्रेडिट रिस्क डेटाबेस बनाने में होना चाहिए जिससे गहरी समझ बन सकती है जो एमएसएमई को कर्ज देने के फैसले को और इसके नतीजे में कर्ज तक पहुंच को बेहतर बना सकती है।

एमएसएमई लोन की बड़ी संख्या में लंबित मांग का सकारात्मक पहलू यह है कि इससे ऋणदाता उस पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि हर ऋणदाता के लिए यह संभावना होती है कि दूसरे का हिस्सा मारे बिना अपनी ऋण मात्रा बढ़ा लें। हालांकि वर्तमान में कुछ बड़े ऋणदाता अपना संस्थागत डेटाबेस रखते हैं लेकिन अक्सर छोटे ऋणदाताओं के पास यह नहीं होता और संभवतः उसे बनाने का खर्च सहन नहीं कर सकते। डेटाबेस रखने वाले ऋणदाताओं के लिए भी सीआरडी से पूरक डेटा मिले तो मदद होगी। एमएसएमई ऋणदाताओं से मिले राष्ट्रव्यापी डेटाबेस पर आधारित सांख्यिकीय मॉडल्स एक अकेले बैंक डेटा पर आधारित मॉडल्स से अधिक कारगर हैं। इसके अलावा समय के साथ ये मॉडल्स अधिक डेटा जुड़ने से बेहतर होंगे।

¹² इन बातों के कारण आरबीआई ने बैंकों को एमएसएमई को कर्ज देने में एनबीएफसी के साथ मिलकर काम करने और सह—संगठन मॉडल अपनाने को कहा है।

¹³ भारत की प्रमुख सवारी गाड़ी कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जापानी के सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की उप—इकाई है। 2007 तक यह मारुति उद्योग लिमिटेड से जानी जाती थी और यह सुजुकी, जापान और भारत सरकार का संयुक्त उद्यम थी।

जापान के क्रेडिट रिस्क डेटाबेस से मिली सीख

जापान में एसएमई को बंधक की जगह क्रेडिट रिस्क आकलन के आधार पर कर्ज देने के लिए बैंकों को तैयार करने के लिए 2001 में सीआरडी की स्थापना हुई थी। बुलबुला अर्थव्यवस्था (बबल इकॉनॉमी) के ध्वस्त होने और इसके कारण जमीन की कीमत में गिरावट के बाद जापान में खासकर एसएमई को कर्ज देते वक्त बैंकों को बंधक पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत महसूस हुई। सीआरडी की स्थापना सरकारी फंड से हुई जिसे एसएमई एजेंसी (वित्त, व्यापार और उद्योग मंत्रालय की अधिकृत इकाई) और बैंक ऑफ जापान (बीओजी, जापान का केन्द्रीय बैंक) ने तैयार किया। डेटाबेस का प्रबंधन क्रेडिट रिस्क डेटाबेस एसोसिएशन देखता है जो बिना लाभ के उद्देश्य वाली निजी कंपनी है जिसे सदस्य संस्थान डेटा और शुल्क देते हैं (नगुएन एंड सागरा 2020)।

सीआडी के सदस्यों में 51 साख जमानत कंपनियां हैं (जो एसएमई द्वारा लिये गये कर्जों की साख जमानत देते हैं), 103 निजी वित्तीय संस्थान और पांच सरकार-संबद्ध संस्थान हैं। बीओजी, एसएमई एजेंसी और वित्तीय क्षेत्र नियामक, फाइनांशियल सर्विसेज एजेंसी (एफएमएसए) भी सदस्य हैं। नवम्बर 2019 तक इस डेटाबेस में 25 लाख एसएमई का डेटा था (नगुएन एंड सागरा 2020), वहां कुल करीब 35 लाख एसएमई हैं (एमईटीआई, 2018)। सीआडी डेटा में 12 लाख एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराइटरशिप) वाले एसएमई का डेटा शामिल है। इस डेटाबेस में एसएमई के लिए दो करोड़ दस लाख वित्तीय लेखा-जोखा हैं (डेटा पॉयंट्स) जिसमें 56 लाख वित्तीय लेखा-जोखा एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराइटरशिप) वालों का है (नगुएन एंड सागरा 2020)।

एसएमई के वित्तीय लेखा-जोखा, कर्ज अदायगी और अभुगतान से सम्बंधित डेटा उन वित्तीय संस्थानों से हर साल अनाम तरीके से साझा किया जाता है जो सीआरडी के सदस्य हैं। डेटा की काट-छांट होती है और सीआरडी संघ द्वारा हर वित्तीय लेखा-जोखा की संगतता तय होने के बाद उन्हें अपलोड किया जाता है। चूंकि कुछ सीएमई कई ऋणदाताओं से कर्ज लिये हुए हो सकते हैं, इसलिए वित्तीय लेखा-जोखा के दोहराव से बचने की जरूरत होती है। इस काम के लिए एक अलगोरिदम में एसएमई के नाम का पहला अक्षर (अंग्रेजी), उसके कॉर्पोरेशन बनने की तारीख और पंजीकृत पते का पोस्टल कोड इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक ही डेटा की दोबारा एंट्री न हो (कुवाहारा आदि, 2016)। इस क्रेडिट मॉडल में वित्तीय लेखा-जोखा से प्राप्त वित्तीय अनुपातों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में दर्ज किया जाता है। वित्तीय लेखा-जोखा से 35 से 85 वित्तीय चीजों का इस्तेमाल कर लगभग 174 वित्तीय अनुपात निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल इस मॉडल में होता है। इस मॉडल से पता चलता है कि अभुगतान की प्रायिकता (आशंका) एक से तीन साल की है। इस मॉडल को हर साल एक स्वतंत्र आयोग द्वारा परखा जाता है जिसमें विद्वान, वित्तीय क्षेत्र के उपयोगकर्ता और नीति निर्धारक होते हैं (नगुएन एंड सागरा 2020)।

जापान की वित्तीय समावेशिता में सीआरडी तीन मुख्य तरीकों से योगदान करता है। पहला, यह एसएमई सेक्टर के बारे में सूचना और मानदंड सांख्यिकी उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए, एक खास क्षेत्र में किसी खास उद्योग के एक आम एसएमई के व्यापारिक प्रदर्शन की सूचना उपलब्ध रहती है। यह सूचना ऋणदाताओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए उपयोगी है। इन मानदंडों का इस्तेमाल ऋणदाता अपने एमएसएमई ग्राहकों को प्रबंधकीय सलाह देने में करते हैं। दूसरे, सीआरडी ने एक ऐसा क्रेडिट रिस्क मॉडल बनाया है जिसके आधार पर अपने सदस्य संस्थानों के एसएमई ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर दे सकता है। जिन बैंकों के पास आंतरिक रिस्क मॉडल होता है, वे सीआरडी स्कोर का इस्तेमाल कर अपने मॉडल का मिलान और उसे मान्यीकृत कर सकते हैं, यह प्रक्रिया वित्तीय क्षेत्र के नियामक एफएसए द्वारा अनुमोदित है। एफएसए इस मॉडल का इस्तेमाल बैंकों के लोन पोर्टफोलियो और उनकी स्कोरिंग की शुद्धता का मूल्यांकन करने में करता है। यह साख जोखिम के फैलाव और एसएमई के फंड इकट्ठा करने के बारे में भी गहरी समझ देता है। तीसरे, सीआरडी से मिलने वाले क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल गारंटी कंपनियां एसएमई द्वारा देय गारंटी शुल्क निर्धारित करने के लिए करती हैं।

सीआरडी जापान का कामकाज इसकी स्थापना से सुचारु रहा है। एसएमई ऋण प्रबंध पर सीआरडी के पूरे प्रभाव का आकलन इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस ऋण को कई कारक प्रभावित करते हैं। फिर भी, एसएमई लोन जो बिना बंधक या जमानती के दिये गये हों, उनकी मात्रा सीआरडी की स्थापना के बाद काफी हद तक बढ़ गयी है (तथैव)।

फिलिपींस में जारी क्रेडिट रिस्क डेटाबेस

फिलिपींस का सीआरडी प्रोजेक्ट केन्द्रीय बैंक, फिलिपींस और जापान के बीच 2019 से 2022 के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत बैंको सेन्तराल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी) और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की संयुक्त पहल है। यह औपचारिक रूप से दिसम्बर 2020 में चालू किया गया। यह प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया ताकि एमएसएमई लोन के बेहद खराब अनुपात पर ध्यान दिया जा सके, जो देश के कुल बिजनेस लोन का महज 8.8 प्रतिशत था जबकि व्यापारिक उद्यमों में 99.5 प्रतिशत यही था और दो तिहाई रोजगार भी इसी में था (डिओकनो 2020)। फिलिपींस सीआरडी से उम्मीद है कि यह एमएसएमई की कर्ज वापसी का आकलन करने के लिए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स उपलब्ध कराकर जोखिम-आधारित कर्ज देने की

प्रक्रिया को बढ़ावा देगा (बंधक-आधारित कर्ज देने की प्रक्रिया के उलट)। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले सीआरडी जापान द्वारा 2016 में व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में वित्तीय संस्थानों के वित्तीय लेखा-जोखा के नमूना डेटासमूह और डिफॉल्ट डेटा का इस्तेमाल किया गया जिसमें पता चला कि फिलिपींस में वित्तीय लेखा-जोखा की निम्न गुणवत्ता के बावजूद वहां ठीक ठाक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें एमएसएमई कर्जदारों की बातों को दर्शाया गया हो (जेआईसीए 2019)। हालांकि यह बात नोट की गयी कि एमएसएमई के वित्तीय लेखा-जोखा की गुणवत्ता में सुधार से इस मॉडल में निश्चित रूप से सुधार आएगा। फिलिपींस सरकार की वर्तमान पहलों से एमएसएमई को विश्वसनीय वित्तीय लेखा-जोखा तैयार करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। सीआरडी प्रोजेक्ट को लागू करने वाली इकाई बीएसपी में अवस्थित है और वर्तमान में यह प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से यह इकाई और सीआरडी जापान क्लाउड आधारित तकनीक से चला रहे हैं¹⁴। सीआरडी जापान से उम्मीद है कि वह इस इकाई को अगले तीन साल में सीआरडी बनाने और चलाने के तौर-तरीके बता देगा। सत्रह वित्तीय संस्थान पहले ही फिलिपींस सीआरडी के सदस्य बन चुके हैं।

भारत में क्रेडिट रिस्क डेटाबेस का प्रस्तावित मॉडल

हालांकि जापान में संचालित जैसा सीआरडी भारत में उपयोगी होगा लेकिन संदर्भ के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जरूरत होगी। पहला, भारतीय सीआरडी में सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि एनबीएफसी भी शामिल होंगे क्योंकि एमएसएमई को कर्ज देने के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, चूंकि कई एमएसएमई ऋणदाता कर्जदारों की नकदी-प्रवाह के आधार पर कर्ज देने का अनुपात बढ़ा रहे हैं, इसलिए इस डेटाबेस में विशुद्ध रूप से नकदी-प्रवाह के लेखा-जोखा के आधार पर मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, नकदी-प्रवाह के लेखा-जोखा को सत्यापित डेटा के आधार पर तैयार किया जा सके ताकि उनका विश्वसनीय होना सुनिश्चित हो।

संचालन के लिहाज से सीआरडी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि कर्जदारों के वित्तीय विवरण के संवेदनशील डेटा को साझा करने के लिए सुरक्षित डेटा भेजने की व्यवस्था की जरूरत होगी। दूसरे, सीआरडी बनाने में सरकार का न्यूनतम अतिरिक्त खर्च होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 से सम्बन्धित राहत पैकेजों के कारण अभी काफी आर्थिक दबाव है।

भारत में खाता समूहक ढांचा (अकाउन्ट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क) रहने से डेटा साझा करने का सुरक्षित माध्यम मिलता है। ओसीईएन नेटवर्क बनाने वाले ढांचे का इस्तेमाल किराये की तारीके से सीआरडी बनाने में किया जा सकता है।¹⁵ इसमें शामिल होने वाले बैंक और एनबीएफसी को अपने मूल्यांकन के समय एमएसएमई कर्जदारों से सम्बन्धित वित्तीय लेखा-जोखा (बिना नाम बताये), वार्षिक नवीनीकरण और संबंधित कर्जों के अभुगतान से सम्बन्धित डेटा के साथ साझा करना होता है। सीआरडी इस एग्रीगेट डेटा का इस्तेमाल सांख्यिकीय मॉडल बनाने में करेगा जिससे भागीदार ऋणदाता के इस्तेमाल के लिए क्रेडिट स्कोर तैयार होगा।

सीआरडी बनाने में कुछ शुरुआती खर्च सरकार को वहन करना पड़ सकता है लेकिन वार्षिक खर्च इसमें शामिल होने वाले ऋणदाता के सदस्यता शुल्क से पूरा होना चाहिए जैसा कि सीआरडी जापान के में होता है। आरबीआई और 'सिडबी' को चाहिए कि वे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी को इस बात के लिए तैयार करें कि वे सीआरडी में शामिल हों क्योंकि बड़ी भागीदारी से एक वृहत्तर और अधिक सटीक डेटाबेस तैयार होगा। शुरुआती दौर में इस पहल में शामिल होने के लिए ऋणदाताओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और धीरे-धीरे शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।


इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर चालू किया जा सकता है, उसी तरह जैसे इंडिया स्टैक को विकसित किया गया था। आरबीआई आईएसपीआईआरटी के साथ मिलकर काम कर सकता है। आईएसपीआईआरटी बिना लाभ के उद्देश्य से चलने वाला सॉफ्टवेयर उद्योग का विचार समूह है जिसने इंडिया स्टैक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

एमएसएमई, ऋणदाता और प्रस्तावित मॉडल के बीच डेटा और सेवा की प्रवाह को चित्र 2 में दिखाया गया है।

¹⁴ सीआरडी जापान के अधिकारियों से ईमेल प्रश्नोत्तर पर आधारित

¹⁵ श्री अंकित सिंह ने एक वर्चुअल चर्चा में यह माना था कि ओसीईएन नेटवर्क और अकाउन्ट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के इस्तेमाल से भारत में क्रेडिट रिस्क डेटाबेस बनाया जा सकता है। श्री सिंह आई-एसपीआईआरटी के सह संस्थापक हैं।

Circulation of Data & Services in the CRD Model



क. भारत में सीआरडी के लाभ

भारत में सीआरडी कई महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पहला, ऋणदाता अपने आंतरिक मॉडल्स से प्राप्त स्कोर की पुष्टि करने के लिए डेटाबेस के क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अपने आंतरिक मॉडल्स के मिलान का साधन बन सकता है और बैंक के लिए साख मूल्यांकन पर पुनर्विचार के लिए चेतावनी के संकेत के तौर पर भी काम आ सकता है अगर इसमें काफी अंतर हो। नये ऋणदाता जिनके पास इतने परिष्कृत मॉडल्स नहीं होते वे खास तौर पर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरे, सीआरडी बेहतर मूल्यांकन में मदद के लिए ऋणदाताओं को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न एमएसएमई खंडों के लिए मानदंड उपलब्ध करा सकता है। तीसरे, सीआरडी के क्रेडिट स्कोर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए गारंटी का मूल्य (ब्याज दर) तय करने में काम आ सकते हैं। वर्तमान में गारंटी का मूल्य (ब्याज दर) निर्धारण ऋण देने वाले संस्थानों के लिए लागू रिस्क प्रीमियम के आधार पर होता है जो इसके एनपीए स्तर और दावा भुगतान अनुपात से तय होता है। एमएसएमई के लिए सीआरडी स्कोर से ट्रस्ट को अधिक परिष्कृत मूल्य निर्धारण विधि विकसित करने में मदद मिल सकती है जिसमें उस एमएसएमई से सम्बन्धित जोखिम को भी शामिल किया जाता है। अंत में, अगर भविष्य में, एमएसएमई लोन के समूह के प्रतिभूतिकरण को शामिल किया जाता है तो सम्बन्धित एमएसएमई लोन के लिए सीआरडी से मिलने वाला क्रेडिट स्कोर कर्जों को एक जगह करने और इस समूह के जोखिम-विवरण को बताने में उपयोगी हो सकता है।

ख. सीआरडी की चुनौतियां

सीआरडी के लिए मुख्य चुनौती होगी वित्तीय लेखा-जोखा की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अक्सर ऋणदाताओं को जीएसटी और बैंक अकाउन्ट डेटा से वित्तीय लेखा-जोखा तैयार करने की जरूरत पड़ सकती है। रेकॉर्ड रखने और क्लाउड-आधारित अकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए मोबाइल आधारित ऐप्स उपलब्ध होने के बाद कुछ ऋणदाता संभावित कर्जदारों को ये उपकरण देने लगे हैं ताकि वे अपना मूल्यांकन सही से कर सकें। यहां तक कि जब ऋणदाता भी वित्तीय लेखा-जोखा तैयार करते हैं तो फॉर्मेट में काफी फर्क होता है। इसलिए प्रविष्टियों के मानकीकरण के लिए डेटाबेस को कोई तरीका ढूंढना होगा। डेटा दर्ज करने से पहले डेटा गुणवत्ता जांच करने की जरूरत होती है।

नकदी-प्रवाह वाले ऋणदाताओं के पास वित्तीय लेखा-जोखा नहीं भी हो सकता और इसलिए नकदी-प्रवाह आधारित मानदंडों के लिए एक अलग डेटाबेस बनाने की जरूरत हो सकती है। सीआरडी जापान ने 2019 में बैंक ऑफ जापान और एक बड़े बैंक के साथ मिलकर एक शोध परियोजना पर काम किया ताकि बैंक लेनदेन डेटा का इस्तेमाल करते हुए अल्पकाल में अभुगतान की प्रायिकता का अंदाजा लगाया जा सके। इस शोध का उद्देश्य यह देखना था कि क्या वैसे एमएसएमई के अभुगतान की प्रायिकता का अनुमान लगाया जा सकता है जिनके पास बैंक खाता तो है लेकिन वित्तीय लेखा-जोखा नहीं है। उच्च बारम्बारता वाली बैंक लेनदेन के डेटा के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक मॉडल बनाया गया। जनवरी 2020 में इसी मॉडल के आधार पर, एक जापानी बैंक- रेजॉना बैंक ने एक एमएसएमई क्रेडिट लाइन बनाया जिसमें उन्हें एक खास वक्त के लिए बैंक में खाते रखने पड़ते थे (नगुएन एंड सागरा 2020)। भारत में इसी तरह का मॉडल विकसित करने की जरूरत होगी क्योंकि छोटे उद्यमों में बैंक खाता स्वामित्व का विस्तार हुआ है लेकिन वित्तीय लेखा-जोखा तैयार करने के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।

निष्कर्ष

अनेक पहलों के केन्द्र में रहने के बावजूद भारत में एमएसएमई सेक्टर का साख अंतर लगातार बना रहता आया है। इस अंतर को कम करना खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से दबाव झेल रहे इस सेक्टर को उबारने की जरूरत है। इस अंतर को विपरीत दिशा में प्रभावित करने वाले दो रुझान देखे जाते हैं। एक तरफ, ऐसा देखा जा रहा कि सार्वजनिक बैंकों से लिये गये एमएसएमई लोन से सम्बन्धित एनपीए लगातार अधिक रह रहे हैं, जिससे ऐसे कर्जों के बारे में यह बात और मजबूत हो रही कि इसमें काफी जोखिम है। दूसरी तरफ, वैकल्पिक डेटा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कर्ज देने के नये मॉडल की उपलब्धता ने अधिक से अधिक एनबीएफसी को एमएसएमई ऋण क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया है।

उन आंकड़ों के इस्तेमाल के लिए निवेश कर कर्ज देने के निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार लाया सकता है जो ऋणदाता भविष्य में कर्ज देने के लिए डेटाबेस बनाने के लिए जमा कर रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जापान में बंधक और जमानत मुक्त एसएमई कर्ज को गति देने में सीआरडी की उपयोगी भूमिका देखी गयी है। फिलिपींस में इसी तरह की एक पहल फिलिपींस और जापान के बीच जापान टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत की गयी है।

भारत में इस बात का मौका है कि ओसीईएन नेटवर्क और खाता एकीकरण (अकाउन्ट एग्रीगेटर) फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर बैंकों और एनबीएफसी के साथ अपेक्षतया कम अतिरिक्त खर्च पर सीआरडी बनाया जाए। सीआरडी का रोल क्रेडिट ब्यूरो और रेटिंग एजेंसियों से बिल्कुल अलग होगा क्योंकि यह एकल इकाइयों के लिए न होकर समूचे सेक्टर के लिए वित्तीय और डिफॉल्ट डेटा पर आधारित होता है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स पर आधारित देशव्यापी डेटा और एमएसएमई के विभिन्न खंडों के लिए मानदंडों की उपलब्धता सीआरडी के मुख्य लाभ हैं। इसके अलावा यह लाभ भी है कि इन मॉडलों से प्राप्त क्रेडिट स्कोरों का इस्तेमाल गारंटी के मूल्यांकन (ब्याज दर) के लिए अधिक परिष्कृत विधि बनाने में और संभावित रूप में एमएसएमई कर्जों के प्रतिभूतिकरण के लिए किया जा सकता है। सीआरडी बनाने में मुख्य चुनौती एमएसएमई क वित्तीय लेखा-जोखा की विश्वसनीयता और निरंतरता को सुनिश्चित करना है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत होगी कि लेखा-जोखा का सत्यापन डेटा से हुआ हो। इसकी जरूरत भी होगी कि ताकि नकदी प्रवाह आधारित ऋण प्रदान करने के लिए विशेष क्रेडिट मॉडल्स विकसित किये जाएं जिसका इस्तेमाल ऋण प्रदाता बढ़ा रहे हैं।

संदर्भ

[“Asia Small and Medium Sized Enterprise Monitor 2020” Asian Development Bank, 2020](#)

[Awasthi, P., “One third of MSMEs enhance digital presence during lockdown,” *TheHindu Business Line*. June 25, 2020](#)

[Banerjea, Aparna, “Stimulus package 3.0: Government extends emergency credit line guarantee scheme till March 2021,” *Livemint*. November, 12, 2020](#)

[CARE Ratings, 2020a Survey of MSMEs: Impact of lockdown and Special Economic Package](#)

[CARE Ratings, 2020b Survey on “Unlock India” State of Business](#)

[CGTMSE Annual Report 2019-2020](#)

[Diokno, Benjamin E., Speech during the virtual launch of the Credit Risk Database Project, December 9, 2020](#)

[Dutt, Nittin, “2020 Covid and its impact on economy and MSMEs,” *Livemint*, October 25, 2020](#)

[Ghosh, Shayan. “RBI concerned about growing stress in Mudra loans, says deputy governor Jain,” *Livemint*, November 26, 2019](#)

[Ghosh, Shayan, “SBI’s Mudra NPAs at 15%, loan book stabilized, says Rajnish Kumar,” *Livemint*, June 18, 2020](#)

[Government of India, 2018 Economic Survey 2017-18: Volume 1, Chapter 2](#)

[Government of India, 2019 Economic Survey 2018-19: Volume 1, Chapter 3](#)

[IFC 2018: Financing India's MSME: Estimation of debt requirement of MSMEs in India](#)

[Japan International Cooperation Agency: The Study for the Introduction of Credit Risk Database \(CRD\) in the Philippines, 2019](#)

Kuwahara, S., Yoshino, N., Sagara, M. and Taghizadeh-Hesary. 2016. Role of Credit Risk Database in Developing SMEs in Japan: Ideas for Asia. In *SMEs in Developing Asia*, ADBI: Tokyo 297–323.

[Kuwahara, S., Yoshino, N., Sagara, M. and Taghizadeh-Hesary. 2019. "Establishment of the Credit Risk Database: Concrete Use to Evaluate the Creditworthiness of SMEs" ADBI Working Paper No.924 February 2019](#)

[McKinsey Global Institute, 2020: India's Turning Point](#)

[METI, 2018: Results of aggregated numbers of SMEs and small enterprises as of June 2016](#)

[Mohapatra, Ambuj, 2012: Study of the Performance & Credit rating Scheme for Micro and Small Enterprises](#)

[Ministry of Finance, 2020 \(Twitter\): Aatma Nirbhar Bharat Package Progress So Far](#)

[Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: Annual Report 2017–18.](#)

[Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: Annual Report 2019-20](#)

[Nguyen, Lan H. and Sagara, Megumi, “2020 Credit Risk Database for SME Financial Inclusion,” ADBI Working Paper Series No.1111, April 2020](#)

Nilekani, Nandan, “India’s Inclusion Inflection Presentation at Kaleidofin CEO Forum,” August 6, 2020

[Palepu, Advait Rao, “Why the Government’s Small Business Loan Scheme Saw Lukewarm Response,” *Bloomberg Quint*, September 30, 2020](#)

[Reserve Bank of India: 2018 Report of the High Level task Force on Public Credit Registry for India](#)

Reserve Bank of India, 2019 Report of the Expert Committee on MSMEs (U.K.Sinha Committee Report)

[Reserve Bank of India: Covid-19 Regulatory Package, March 27, 2020 \(a\)](#)

[Reserve Bank of India: Covid-19 Regulatory Package, May 23, 2020 \(b\)](#)

[Reserve Bank of India, 2020 \(c\)](#)

[Reserve Bank of India: Co-lending by banks and NBFCs to Priority Sector, November 5, 2020 \(d\)](#)

Sahoo, P. and Ashwani , “Covid-19 and Indian Economy: Impact on Growth, Manufacturing, Trade and MSME sector” *Global Business Review* Vol.21 Issue 5 pp.1159-1183, 2020

[Shankar, Savita, “The Role of Credit Rating Agencies in Addressing Gaps in Micro and Small Enterprise Financing: The Case of India,” ADBI Working Paper 931, 2019](#)

Singh, Ankit, 2020 Presentation on OCEN at the MSME Finance Week organized by Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME) December 15

[Singh, Sugandh, "The Bad Boy Among Banks' NPAs," *Entrepreneur India Magazine*,](#)

[2017](#)

[Sitharaman, N., "2020 Press Conference by Finance Minister Nirmala Sitharaman,"
May 13, 2020](#)

[TransUnion CIBIL, MSME Pulse April 2020 \(a\)](#)

[TransUnion CIBIL, MSME Pulse October 2020 \(b\)](#)